P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-4* ISSUE-9* May- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

आधुनिक युग और महिला उद्यमिता

दीप्ति सोनकर
एसोसिएट प्रोफेसर,
मनोविज्ञान विभाग,
म0 बि0 पा0 राज0 स्ना0
महाविद्यालय,
लखनऊ

सारांश

सदियों महिला और पुरूष में जो विषमता या भेद किया जाता रहा है उसे आज के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बदले हुए सामाजिक सांस्कृतिक परिवेष में पुरूष एवं महिला तक स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति और राष्ट्रीय विकास में योगदान सिद्व नहीं कर सकते। पूर्व राष्ट्रपति ए0पी0जे0 अब्दूल कलाम के अनुसार– ''महिलाओं को सशक्त बना कर ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है'' 21वीं सदी को महिलाओं के संघर्ष की सदी कहा जा रहा है। इस युग में महिलाओं ने नवीन आयाम हासिल किया है।

मुख्य शब्द : महिला सशक्तीकरण, महिला उद्यमिता

प्रस्तावना

महिला सशक्तीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसका सम्बन्ध महिलाओं की सामाजिक उपलब्धियों, आर्थिक और राजनीतिक सहसम्बन्धों से जुड़ा है। महिला की सदृढ़ व सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत समृद्व व मजबूत समाज की द्योतक होती है। महिला उद्यमिता मानव संसाधन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता के विकास का भारत में बहुत कम अवसर हैं। ग्रामीण महिलाओं की स्थिति निम्न एवं कमजोर बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीतिक एवं आर्थिक भागीदारी आदि है। इस प्रकार महिला सशक्तीकरण और महिला उद्यमिता एक दूसरे के पूरक तत्व माने जा सकते हैं और इन के द्वारा सशक्तीकरण की व्यापक समझ के लिए गतिशील प्रक्रिया को कुछ महत्वपूर्ण भागों में बॉटा जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वायत्ता से है।

महिला उद्यमिता मानव संसाधन विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। भारतीय सन्दर्भ में महिलाओं में उद्यमिता चिन्ता का प्रमुख विषय रहा है। आज महिलाओं को अपने अस्तित्व के बारे में पता हो गया है, जो उनके अधिकारों और उनके काम करने की स्थिति को प्रभावित कर रहा है। लेकिन वे अपनी भूमिका को बदलने के लिए वांछित रूप से उत्सुक नहीं है। मध्यम वर्ग की महिलाओं में यह अधिक स्पष्ट है। यह सामाजिक प्रतिक्रिया के डर से भी है। किन्तु यह प्रगति शहरी क्षेत्रों में उच्च श्रेणी के परिवारों के बीच अधिक दिखाई देती है। महिलाओं के विकास में परिवर्तन पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–78) के बाद से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है, जिसके अन्तर्गत महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए कल्याण कार्यक्रमों को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है और कई नीतियों और कार्यक्रमों को महिलाओं के विकास के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है और लैंगिक असमानता जैसे असाध्य रोगों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। किन्तु लैगिंक असमानता की ओर धीमी प्रगति और आंशिक रूप से नीति समान अधिकार प्रतिबद्वताओं के साथ पैसे देने में असफलता के मुख्य कारण हैं, जब एक महिला सशक्त होती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि एक व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है। इसके विपरीत एक महिला के निर्णय के प्रति अपनी दक्षताओं में वृद्वि निश्चित रूप से परिवार के व्यवहार को प्रभावित करती है।

अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तीकरण की पहल सर्वप्रथम 1985 में नैरोबी में सम्पन्न अन्तराष्ट्रीय महिला सम्मेलन में की गयी थी। भारतीय अर्थ व्यवस्था में सन् 1991 के मध्य के बाद से मौलिक परिवर्तन परिलक्षित हो रहा हैः– आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण और भारत सरकार द्वारा शुरू की निजीकरण की नई नीतियां इसके मुख्य कदम हैं। भारत में उद्यमशीलता की अद्म्य क्षमता है। आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की कार्य भागीदारी दर, असंगठित क्षेत्र के श्रम कुशल नौकरियों में और रोजगार में अत्याधिक संलग्नता

द्वारा इसको चिन्हित किया जा सकता है। महिला उद्यमिता की संख्या में वृद्वि पिछले तीन दशकों से देखी जा सकती है।

P.F. Drucker के अनुसार उद्यमिता एक ऐसा एजेंट है जो उत्पादन की एक निश्चित कीमत निर्धारित करता है और इस तरह वह वस्तुओं के विक्रय का निर्णय करता है। यह हमेशा (1) बदलाव (2) एक प्रक्रिया और (3) एक अवसर के रूप में संसाधनों के शोषण के लिए खोज करता है। महिलाओं की उद्यमी Enterprise के संकल्पना एक लघु औद्योगिक इकाई का उद्योग से सम्बन्धित सेवा या व्यापार उद्यम से है। भारत में महिलाओं के उद्यमिता में प्रवेश और राष्ट्र के विकास में योगदान लोकतांत्रिक मूल्यों की सुदृढ़ता को अभिव्यक्त कर रहा है। आज के लोकतांत्रिक समाज के ''समतावादी कल्याणकारी राज्य की पंचवर्षीय योजना (1992–97) में स्वीकार किया गया कि महिलाओं के बहुआयामी विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ''राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में की गई और लगातार नौवीं, दसंवी एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में महिला सशक्तीकरण हेतु व्यापक महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम उठाये गये, जिससे सबल नारी के निर्माण के लिए ''महिला उद्यमिता'' को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का प्रावधान किया गया है, किन्तु इन योजनाओं और परियोजनाओं के बावजूद महिलाओं के सशक्तीकरण की गति में धीमा होने के मुख्य कारण हमारे समाज का दिन–प्रतिदिन स्तर गिरना है, जिसके कारण समाज खोखलेपन का शिकार होता जा रहा है, जिसके मुख्य उदाहरण यह है कि वह ऊपर से तो अच्छे आर्दशों और न्याय की बात करता है लेकिन यदि समाज में स्त्री के भले के लिए कठोर और महत्वपूर्ण कदम उठाये होते तो भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार तथा घर से निकाना जैसी घटनाओं पर विराम लग गया होता, लेकिन ऐसी घटनाओं की बढ़ोत्तरी हमारे समाज की संकीर्ण मानसिकता और खोखलेपन को जाहिर करती है।

आज महिला सशक्तीकरण के लिए सबसे प्रभावी कदम महिला उद्यमशीलता है, क्योंकि एक महिला जब मजदूरी या नौकरी करती है, तो मजदूरी, कार्य, दशाएं व अन्य शारीरिक, मानसिक शोषण की शिकार होती रहती है, जबकि उद्यमशील महिला अपने उद्योग की स्वयं स्वामिनी होती है, जिसमें निर्णयों की स्वायत्तता के साथ रोजगार सृजन के कृत्यों को भी वे स्वंय ही सम्पादित करती है। उद्यमशील नारियों ने देश–विदेश में अपनी योग्यता व क्षमता का परचम लहराया है। अर्नवाज ''अनु आगा'' (अध्यक्ष थमैक्स) ''वैदिक भण्डारकर'' (प्रबन्ध निदेशक, जे0पी0 भार्गव इण्डिया), ''वी0एम0 छाबरिया'' (अध्यक्ष जंबो समूह) ''सुल्ज्जा फिरोदिना मोटवानी'' (सं0 प्र0 निदेशक काईनेटिक इंजिनियरिंग) ''ललिता गुप्ता (सं0 प्र0 निदेशक आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक) ''कविता हर्री'' (प्र0 निदेशक आई0एन0जी0 वैश्य म्युचुअल फण्ड), नयनालाला किदवई (डिप्टी सी0ई0ओ0 एच0एस0बी0सी0), किरन मजूमदार शॉ (अध्यक्ष व प्रबन्ध बॉयोकॉन), शिखा शर्मा (सी0ई0ओ0 आई0सी0आई0सी0आई0 प्रुडेशियल लाइफ) ''शोभना भरतिया'' (अध्यक्ष द हिन्दुस्तान टाइम्स लिमिटेड) इत्यादि के उद्यमशीलता के नवीन प्रतिमानों को स्थापित कर आदर्श स्वरूप स्वीकार की जा रही है। कार्पोरेट जगत के अतिरिक्त विज्ञान (कल्पना चावला) प्रशासन (किरन बेदी), साहित्य (महादेवी वर्मा) आदि ने भी अपना एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है।

आज समाज में हर क्षेत्र में आधुनिकता के साथ–साथ प्रौद्योगिकी या वैज्ञानिकता की पहल को स्वीकार किया जा रहा है, जिससे समाज के स्वरूप नये प्रतिमानों के साथ विस्तृत होता जा रहा है। इस प्रवाह में हमें समाज में पुरूषों के साथ बराबरी के आधार पर महिलाओं की भागीदारी सुगम बनाने के लिए अपना मानसिक दृष्टिकोण बदलना होगा। महिलाओं को भी अपनी परम्परागत घर गृहस्थी संभालने और बच्चों के पालन–पोषण करने की भूमिका से थोड़ा हटकर अधिक प्रगतिशील ऐसी भूमिका निभाने की ओर बढ़ना होगा जो उन्हें समाज में आर्थिक योगदान प्रदान करने वाला बना सके। अन्त में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि राज्य ने महिला उद्यमिता को औपचारिक रूप से स्वीकार कर दिया है और अब महिला पुरूष के समन्वित प्रयास से ही किसी देश, समाज का विकास सम्भव है, जिसके लिए महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक रूप से निर्णय लेने की स्वतन्त्रता, आत्मनिर्भरता और अधिकार प्रदान करना महत्वपूर्ण है, जो कि उसे महिला उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण और सशक्त योगदान प्रदान करेगी।

डा0 कार्लेकर ने लिखा है कि कानून में निश्चित ही स्त्री को समानता का अधिकार दिया है। समान कार्य समान वेतन की व्यवस्था दी है। आज आवश्यकता योग्य कर्मठशील महिलाओं की है, जो आगे बढ़कर अपनी जगह पहचाने, उसे हासिल कर लें। लेकिन यह तब तक नहीं सम्भव है, जब तक स्त्री स्वयं को सौन्दर्य के ताने–बाने में उलझा रखेगी तथा पुरूषों द्वारा दिये गये फ्रेम में खुद को जकड़ा रहने देगी।

उद्देश्य

वर्तमान में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति और उस स्थिति कारण सामाजिक मूल्यों का पतन नई पीढ़ी में। जिसके कारण देश की प्रगति में बाधा का उत्पन्न होना, विकास की गति में अवरोध इस शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है, चूकि प्रत्येक युग में महिलाओं की आत्म निर्भरता और आत्मविश्वास विकास का मुख्य कारण रहा है किन्तु जैसे–जैसे देश में गुलामी की जंजीर टूटी वैसे–वैसे महिलाओं पर प्रतिबन्द्ध,बेढ़ियों की मात्रा बढ़ती गई। जिसका परिणाम यह रहा कि देश में समय की वृद्धि के साथ विकास की दर को सन्तुलित बनाने में महिला और पुरूषों का बराबर का योगदान होना चाहिए,किन्तु यदि एक वर्ग शोषण का शिकार हो तो उसका प्रभाव विकास दर पर पड़ना स्वाभविक है। अतः इस प्रकार का असन्तुलन का होना एक राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है और इस पर लगाम लगाये बिना किसी भी प्रकार से देश को विकासशील से विकसित देश की श्रेणी में पहुचाया नही जा सकता है। आधुनिक युग में बहुत आवश्यक हो गया है कि हमें इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करना चाहिए और इस दिशा में कार्यो को प्रोत्साहन देना चाहिए।

निष्कर्ष

उक्त शोध अध्ययन के माध्यम से किया गया प्रयास कि महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना देश,समाज और संस्था के हित में है,क्योकि यह कहावत है कि यदि एक बालिका का समुचित और उत्कृट विकास होता है तो एक पूरे परिवार,समाज का विकास होता है जबकि एक बालक के विकास को केवल व्यक्तिगत विकास तक ही सीमित माना जा सकता है क्योकि महिला का जीवन एक पुत्री से प्रारम्भ हो कर बहन, पत्नी, मॉ, शिक्षक सभी रूपों में जीवित होता हैं, और इन सभी स्तरों पर वह सिर्फ अपने स्वंय के लिए नहीं जीवित न रह कर सम्पूर्ण परिवार–समाज के लिए सदैव उपस्थित रहती है। अतः यह विचारणीय है कि यदि एक व्यक्ति इतनी सारी भूमिकाओं में उपस्थित रह सकता है तो उसका सशक्त,आत्मनिर्भर और आत्म विश्वास से पूरिपूर्ण होना कितना अधिक आवश्यक है। जैसे–जैसे समय के साथ विकास में वृद्धि हो रही है उसका मुख्य श्रेय महिलाओं को जाता है क्योकि वह हर सम्भव क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और अपने उद्यमशीलता के गुण को प्रदर्शित कर रही है, क्योकि ईश्वर ने जन्म से ही महिलाओं में असीमित शक्तियों का भण्डार प्रदान किया है। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाए इस शक्ति को पहचाने और समाज आवश्यकतानुसार उन्हे अवसर और प्रोत्साहन प्रदान करें। जिससें महिलाउद्यमशीलता के प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सके और देश के विकास की गति को तीव्रता प्राप्त हो सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *सारस्वत, ऋतुः ''राजनीति में महिला नेतृत्व–सम्भावनाओं की तलाश'' योजना, नई दिल्ली– 01, जनवरी, 2009*
2. *के0एम0 कपाड़ियाः भारत में विवाह एवं परिवार।*
3. *डा0 ए0 एस0 अल्तेकरः हिन्दू सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति।*
4. *सेन अर्मत्य (अनु भवानी शंकर बांगला) आर्थिक विषमताएं, राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली– 2001*